प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त, च
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2016**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की स्थापना से सम्बन्धित भुगतान की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष अग्रिम धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-335/वि0का0/लो0ग्रा0आ0यो0/2016, दिनांक-14 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना से सम्बन्धित भुगतान की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष अग्रिम धनराशि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण दिनांक 28.03.2016 के अनुसार पी0एल0ए0 में उपलब्ध अवशेष धनराशि रू0-26,83,06,826.00 (रूपये छब्बीस करोड़ तिरासी लाख छः हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) को उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यू0पी0 नेडा) उ0 प्र0 को अग्रिम के रूप में भुगतान हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा अग्रलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निस्तारण पर रखने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च,2016 तक अवश्य कर दिया जायेगा।

(2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धनराशि को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुण्वत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) आहरित की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-925/दस-2015-231/2012, दिनांक-30 मार्च, 2015 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आहरित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की

पूर्व **2/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक व्यय की आवश्यकता होगी।

(9) पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/योजना में नहीं किया जायेगा।

(10) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(11) पी0एल0ए0 में आहरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत योजना हेतु निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किा जायेगा।

(12) आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक सीधे जिम्मेदार होंगे।

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(14) वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पंजी संख्या-ई-2-358/दस-2016, दिनांक-31 मार्च, 2016 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,
वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-12/2016/378(1)/38-4-2016, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबादद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
5- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लख्नऊ ।
6- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
12- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र गौतम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।